संख्या-81/2021/1346/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 10 जून, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-39-40/स0क0/विकास/ कोचिंग-बजट/2021-22, दिनांक-09.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/ 2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-2225-01-789-08 के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-229.12 लाख (रू0-दो करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-229.12 लाख (रू0-दो करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

मानक मद	अन्तरिम आय–व्ययक प्राविधान वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक की स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
01–वेतन	56.14	56.14
03–मंहगाई भत्ता	16.84	16.84
04–यात्रा व्यय	0.50	0.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.40
06–अन्य भत्ता	0.50	0.50
07–मानदेय	50.00	50.00
08–कार्यालय व्यय	1.10	1.10
09–विद्युत व्यय	35.00	35.00
11–लेखन सामग्री और फर्मो की छपाई	0.75	0.75
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.75	0.75
13–टेलीफोन पर व्यय	0.70	0.70
41–भोजन व्यय	30.00	30.00
42–अन्य व्यय	20.00	20.00
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00	5.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	–	–
55–मकान किराया भत्ता	1.94	1.94
56–नगर प्रतिकर भत्ता	–	–
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	8.00
	229.12	**229.12**

(रू0-दो करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2021-22 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

पृ0संख्या-81 /2021/1346 (1)/26-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
5-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in